छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर

फा.कमांक–399 /01–14–एक/2017 बिलासपुर, दिनांकः 06 /02/2020

–: आदेश :–

एतद् द्वारा श्री हेमंत कुमार ठाकुर पिता श्री रूपलाल ठाकुर (अनुसूचित जनजाति) को सहायक ग्रेड–3 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा में पदस्थ किया जाता हैः–

// नियुक्ति की शर्तें //

1– नियुक्त अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संबंधित स्थापना में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:–

उक्त पद हेतु व्यापम, रायपुर को भेजे गये ऑनलाइन फार्म की प्रति, व्यापम, रायपुर द्वारा ली गयी लिखित परीक्षा हेतु जारी की गई प्रवेश–पत्र की प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, प्रस्तुत कर मूल प्रमाण पत्र से मिलान कराये। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में (व्यापम को भेजे गये) और कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को इस आदेश प्राप्ति दिनांक से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

3– नियुक्त अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र संबंधित स्थापना में प्रस्तुत करना होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

4– नियुक्त अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन में यदि उनके विरूद्ध किसी अपराध में संलिप्तता पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

5– नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं कभी भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा सूचना के बदले एक माह के वेतन का भुगतान कर तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

6– नियुक्त अभ्यर्थी यदि स्वयं सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हे एक माह की पूर्व सूचना देनी होगी अथवा एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन एवं भत्ते की राशि संबंधित स्थापना में जमा करना होगा।

क्रमशः–2

7— नियुक्त अभ्यर्थी बिना पूर्व अनुमति के आगे शिक्षा जारी नहीं रख सकेगा और किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा। बिना अनुमति के अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में शामिल होना पाये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।

8— नियुक्त अभ्यर्थी बिना सक्षम अनुमति के अन्यत्र सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, ऐसा करने पर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी। परिवीक्षा अवधि में उन्हें अन्यत्र शासकीय सेवा हेतु आवेदन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

9— नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत सेवा की सामान्य शर्ते एवं सेवा आचरण नियमों का पालन किया जायेगा, इन नियमों के विपरीत कार्य व्यवहार तथा आचरण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार

sd/-

(सिद्धार्थ अग्रवाल)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक—400 /01—14—एक / 2017 बिलासपुर, दिनांकः 06/02/2020

प्रतिलिपिः—

1— निज सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधिपति / मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर माननीय महोदय, के सादर अवलोकनार्थ।

2— निज सचिव, माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर माननीय महोदय, के सादर अवलोकनार्थ।

3— श्रीमान् प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।

4— महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ।

5— नियंत्रक,छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,रायपुर,व्यापम भवन,नार्थ ब्लाक, सेक्टर —19 अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ।

6— श्रीमान् जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,बेमतरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन से इस प्राधिकरण को अवगत कराने का कष्ट करें।

7— जिला कोषालय अधिकारी, बेमेतरा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8— लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9— **अभ्यर्थी श्री हेमंत कुमार ठाकुर** पिता श्री रूपलाल ठाकुर निवासी ग्राम रेंगाकठेरा पोस्ट आफिस माथल डबरी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

06/02/20

(सिद्धार्थ अग्रवाल)
सदस्य सचिव